संख्याः223/2019/1466/35-4/2019

प्रेषक

अनिल कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनॉकः 27 अगस्त,2019

विषय- केन्द्रीय सेक्टर की योजना "एस0एस0एस0" के अन्तर्गत राज्य/जिला आय अनुमानों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु आवश्यक अध्ययन कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-50/एस0एस0एस0-09/स्टडीज/2016 दिनांक 05 जुलाई,2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 में राज्य/ जिला आय अनुमानों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु संस्थानों से कराये जाने वाले अध्ययन की कुल लागत का 20 प्रतिशत भुगतान हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान को रू019.89लाख एवं आर0ए0के0 मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स को रू06.16लाख, कुल रू0 26.05 लाख (रूपयेछब्बीस लाख पॉच हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में एस0एस0एस0 योजनांतर्गत पीएफएमएस खाते में उपलब्ध रू0 4.94 करोड़(रूपये चार करोड़ चौरानबे लाख मात्र) में से अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आरएफपी में वर्णित शर्तों के आधार पर तृतीय व चतुर्थ किश्त की निर्दिष्ट धनराशि को भी अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध निम्नवत किया गया है:-

क्रम संख्या	संस्थान/अध्ययन का विषय	स्वीकृत कुल लागत (लाख रू.में)	कुल लागत का 20 प्रतिशत (लाख रू.में)
1	2	3	4
(1)	गिरि विकास अध्ययन संस्थान,लखनऊ		
1	Study on interstate trade-to identify and estimate value of commodities being imported/exported to/from U.P.	10.29	2.06
2	Preparation of Input-Output transaction tables for U.P.	19.76	3.95
3	Study to estimate rent of dwellings-Rural and Urban in U.P.	11.58	2.32
4	Study to assess the intra-household variations in consumption, educational and economic attainments in different categories of households.	25.00	5.00
5	Study to estimate the sub-state level estimates of socio economic indicators of U.P. by using small area techniques.	17.46	3.49
6	Benchmark survey for area and production estimation of Horticultural Crops	15.36	3.07
A	**TOTAL COST**	**99.45**	**19.89**
(2)	आर0 ए0 के0 मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट,लखनऊ		
1	Study on the plywood/khair Industry to know the percentage and value of raw material sourced through U.P. forests	30.78	6.16
B	**TOTAL COST**	**30.78**	**6.16**
C	**GRAND TOTAL (A+B)**	**130.23**	**26.05**

एस0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 30/1092/637/35-4-2018,दिनांक 01 अक्टूबर,2018 द्वारा स्वीकृत रू. 200 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) में से उपर्युक्त अध्ययन कराये जाने हेतु अग्रिम के रूप में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-196/2019/ 590/35-4-2019,दिनांक 07 मार्च 2019 द्वारा स्वीकृत रू.13.81 लाख (रूपये तेरह लाख इक्यासी हजार मात्र) के क्रम में उपर्युक्त प्रस्तावानुसार अध्ययन कराये जाने हेतु कुल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू.26.05 लाख(रूपये छब्बीस लाख पाँच हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध रू. 4.94 करोड़ (रूपये चार करोड़ चौरानबे लाख मात्र) में से तथा आर0एफ0पी0 में वर्णित शर्तो के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की निर्दिष्ट धनराशि, अध्ययन करने वाले संस्थानों को निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 नवम्बर,2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 25-10-1983 व अन्य संदर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) धनराशि अध्ययन कराने वाले संस्थानों को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए लेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

(5) सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेंट मैनुअल,2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था,प्रश्नगत प्रकरण में लागू होने की दशा में,उक्त का ध्यान रखा जायेगा।

(6) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) एम0ओ0यू0 में उल्लिखित नियम एवं शर्तो का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-5-1148/दस-2019, दिनांक 21 अगस्त,2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्याः223/2019/1466/35-4/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0,प्रयागराज(इलाहाबाद),उ0प्र0।
2. महालेखाकार,लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय),प्रयागराज(इलाहाबाद)उ0प्र0।
3.वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडीटर प्लानिंग),कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड,प्रयागराज(इलाहाबाद),उ0प्र0।
4.संयुक्त निदेशक,सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, 9 वां तल,जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
7. वित्त(लेखा)अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
8. निदेशक,गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ ।
9. आर0ए0के0 मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट,लखनऊ द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
10. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव,नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in